

जिला समाप्त करने के विरोध में शाहपुरा पूर्णतया बंद रहा

सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही

शाहपुरा/भीलवाड़ा, (नि.सं.) अभिभाषण संस्था शाहपुरा के बैनर तले जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में संपूर्ण शाहपुरा पूर्णतया बंद सफल रहा। 28 दिसंबर 2024 को सरकार द्वारा शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में 28 जनवरी 2025 को ब्लैक डे मनाया गया, जिसमें शाहपुरा कोरोना के बाद पूर्णतया ऐतिहासिक रूप से बंद सफल रहा। शाहपुरा में व्यापारियों, सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही और जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया। वहीं महलों के चौक में आम सभा में शाहपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरवासी, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हजारों की संख्या में भाग लिया।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शाहपुरा जिला नहीं बना जाता, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। संयोजक रामप्रसाद जाट ने 15 दिन में शाहपुरा को जिला का दर्जा वापस नहीं देने पर सरकार के विरुद्ध नेशनल हाईवे चक्का जाम कर महापड़ाव कर उग्र आंदोलन का ऐलान किया। आम सभा को किसान केसरी संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा, भारत विकास परिषद के जयदेव जोशी, अधिवक्ता अनिल



शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित महापड़ाव में भारी जनसमूह उमड़ा।

शर्मा, नमन ओझा, सामाजिक कार्यकर्ता अर्पित कसेरा, अविनाश शर्मा, मुस्लिम समाज से एडवोकेट ताज मोहम्मद ने संबोधित किया। कवि दिनेश बंटी ने कविता के माध्यम से शाही से कौन बड़ा कविता सुनाई और उर्मिला कुमार ने देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों प्रस्तुत किया तथा आभार अभिभाषक संस्था के सहसचिव एडवोकेट कमलेश मुंडेतिया ने व्यक्त किया। संचालन एडवोकेट राम प्रसाद जाट ने किया। आम सभा के बाद जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल

राजोरा के नेतृत्व में आमसभा में उपस्थित हजारों की संख्या में आमजन ने महलों के चौक से विशाल जन आक्रोश रैली में नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी शाहपुरा को शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जिला बचाओ संघर्ष समिति के महासचिव एवं अभिभाषक संस्था के सह सचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि शाहपुरा की जनता ने शाहपुरा जिला समाप्त होने पर 28 जनवरी को ब्लैक डे मनाया और आमसभा से पूर्व सभी अधिवक्ताओं

ने शहर के महलों के चौक से सदर बाजार होते हुए नए बस स्टैंड और कालिजारी गेट से फुलिया गेट तक शांतिपूर्ण वाहन रैली निकालकर लोगों को जिला रहने का महत्व बताया एवं शाम छह बजे घरों में ताली और ताली बजाकर तथा आठ बजे घरों की लाइट बंद कर ब्लैक आउट मनाने की अपील की। आम सभा महलों के चौक में विभिन्न गांव से आए लोगों, किसानों, ग्रामीणों ने शाहपुरा को वापस जिला बनाने की मांग के समर्थन में रैली निकाली। इस आमसभा में करीब 7 -

जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया

8 हजार लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के शहर काजी सैयद शराफत अली, मौलाना निसार मोहम्मद, विश्व हिंदू परिषद के रामेश्वर लाल धाकड़, बजरंग दल के हनुमान धाकड़, संघर्ष समिति के रामेश्वर लाल सोलंकी, अभिभाषक संस्था के उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह रणवाल, सचिव वीरेंद्र पथरिया, कोषाध्यक्ष तेजप्रकाश पाठक, पुस्तकालय अध्यक्ष दीपक मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकचंद नौलखा, नरेंद्र रेगर, पीसीसी सदस्य संदीप जीनगर, दुर्गा बैरवा, रेणु समाज अध्यक्ष रतनलाल मुंडेतिया, विप्र समाज अध्यक्ष अंकुर ओझा, माहेश्वरी समाज के कृष्ण गोपाल मुंदा, अग्रवाल समाज के शंकर अग्रवाल, जैन समाज अंबेडकर विचार मंच यातायात सलाहकार समिति प्रॉपटी डीपल एसोसिएशन राजेंद्र बोहरा रामस्वरूप खटौक सहित कई मंचासैन रहे।

चार हजार की रिश्वत लेते प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को जोधपुर जिले के पीपाड तहसील कार्यालय में एक प्राइवेट व्यक्ति को चार हजार की रिश्वत लिए जाने के आरोप में पकड़ा है। अब तक जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्वत ले रहा था। परिवारी की एक रजिस्ट्री संशोधन के नाम पर यह रिश्वत ली गई।

ब्यूरो के ग्रामीण एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि जोधपुर जिले के तहसील कार्यालय पीपाड सिटी में दलाल का चार हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि तहसील कार्यालय



आरोपी प्राइवेट व्यक्ति

पीपाड सिटी जिला जोधपुर में परिवारी की रजिस्ट्री में संशोधन करवाने की एवज में आरोपी द्वारा रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया

■ जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्वत ले रहा था

जा रहा है, जिस पर डीआईजी हेरेंद्र महावर के सुपरविजन में एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ट्रेप अधिकारी उपाधीक्षक किशनसिंह चरण एवं निरीक्षक सुनिता कुमारी ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र मुन्दिवाड़ा उर्फ जिताराम को रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एएसपी राठौड़ ने बताया कि तहसीलदार पीपाड सिटी व उनके रीडर की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी।

राजस्व मंडल में 22 कार्मिकों की पदोन्नति हादसे में पिता-पुत्री की मौत

अजमेर, (कासं)। राजस्व मंडल में आयोजित विभागीय पदोन्नति संमेलित की अनुशंसा से 22 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, जिनमें छह कार्मिक संस्थापन अधिकारी तथा 16 कार्मिक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। राजस्व मंडल निबंधक महावीर

प्रसाद ने बताया कि संस्थापन अधिकारी बने कार्मिकों में महेंद्र सिंह गौड़, निरंजन, विशन सिंह राठौड़, कनला चांदबानी, जगतनारायण पारीक व राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों में करम सिंह चौहान, ललिता साहू, दीपेंद्र शर्मा, विनोद प्रकाश

मालाकार, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर लाल जाट, निशा गुप्ता, दयानंद कुमार, मधुसूदन भाटी, मुकेश कुमार पांडेय, नवनीत कुमार माहेश्वरी, विक्रम भारती, अर्जुन यादव, भैरूराम वर्मा, अजय कुमार व टोकमचंद दीवाकर शामिल हैं। सभी पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन भी कर दिया गया है।

गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल पाली, (नि.सं.) पाली में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रेला अनियंत्रित होकर बाइक पर गिर गया। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्री की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाये गये हैं। गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल

हथियार सहित गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा

आरोपियों के खिलाफ अनेक मामले दर्ज हैं

सादुलपुर, (नि.सं.)। राजगढ़ कस्बे में बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में अश्वेथ हथियार और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने तीन दिन के रिमांड के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि जेल भेजे गये आरोपी हनुमान बांवीर पुत्र मनकूल बांवीर निवासी आईआईटी कालोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को एक देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस सहित तथा आरोपी सज्जन कुमार पुत्र हंसराज कुम्हार निवासी अमरपुरा तहसील अबोहर पुलिस थाना भाववाला जिला

फाजिल्का पंजाब को एक पिस्तूल मय एक जिंदा कारतूस सहित तथा तीसरे आरोपी मुकेश कुमार उर्फ भीम पुत्र साधुराम नाई निवासी वार्ड नं. दो नन्दा कॉलोनी नोहर पुलिस थाना नोहर हाल उधमसिंह चौक संगरिया जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया था। जिनमें गिरफ्तार आरोपी हनुमान बावीर हनुमानगढ़ पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है तथा आरोपी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी के अलावा आर्म्स एक्ट, हथियार, लूट व डकैती के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अन्य दोनों आरोपियों के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। पुलिस थाना नसीराबाद सदर ने मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा हवाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नसीराबाद बाइपास के पास एक कार से 954 ग्राम अफीम जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओमप्रकाश के निर्देशानुसार और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी अशोक बिशु के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने नसीराबाद बाइपास सरहद दिवाड़ी पर एक कार को रोककर तलाशी ली।

कार से 954 ग्राम अश्वेध अफीम बरामद की गई। इस दौरान कार चालक परविंद सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह और खलासी सीट पर बैठे जगरूप सिंह पुत्र दिलीप सिंह दोनों निवासी तलवंडी साबो, जिला फाटिंडा, पंजाब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। थाना अधिकारी अशोक बिशु ने बताया कि मामले में तस्करों के नेटवर्क को खंगलने के लिए गहन अनुसंधान किया जा रहा है।

टैकरों से केमिकल चोरी करने वाले चालक व खरीददार गिरफ्तार

पावटा, (नि.सं.)। टैकरों से केमिकल चोरी करने वाले चालकों व खरीददारों के खिलाफ भाबर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक टैकर चालक सहित माल खरीददार एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। वहीं दो टैकर वाहन, केमिकल चोरी करने में प्रयुक्त जनरेटर मय टैपो जब्त किये। जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली

■ दो टैकर वाहन, केमिकल चोरी करने में प्रयुक्त जनरेटर मय टैपो जब्त

■ टैकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे



पुलिस ने केमिकल चोरी के मामले में कार्रवाई की।

मावलजी जिला उदयपुर व खरीददार स्थानीय युवक युसुफ अली उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल करीम उर्फ कालू निवासी सब्जी मंडी के पीछे गांधीनगर तनकेरली पुलिस थाना भाबर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिपा

राजावत ने बताया कि 25 जनवरी को एनएच 48 पर टैकरों से केमिकल चोरी होने की सूचना पर टैकर चालक गोविंद सिंह को मय टैकर पकड़ लिया। वहीं दूसरा टैकर चालक बालूसिंह फरार हो गया। दोनों टैकर उदयपुर से केमिकल भर पंजाब व हरिद्वार जा रहे थे एवं चालक स्थानीय युवक युसुफ अली उर्फ

बबलू से मिलकर रास्ते में तरल केमिकल निकालते समय चोरी के उपकरणों सहित पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। शायद चोर टैकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे। फरार मुल्जिम बालू सिंह की तलाश जारी है।

पहचान गुड़ा एंजला थाने के किरवा गांव निवासी 45 साल के मंगललाल पुत्र हिमताराम मोणा और उनकी बेटी ललिता के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पिता-पुत्री मजदूरी का काम करते थे। काम खत्म होने पर दोनों बाइक से घर आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए।

ट्रेन की चपेट में आने से 55 मवेशियों की मौत

बोकाचनेर, (नि.सं.)। खारा गांव में ट्रेन से कटकर 55 मवेशियों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे 4-5 जेएमडी स्थित खेत में भेड़-बकरियों के साथ होने पर हुआ। सुबह साढ़े दस बजे ये भेड़-बकरियां लुण्करणसर से बोकाचनेर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसा भीवसिंह के खेत में ही हुआ, जहां से ट्रेन की पटरियां गुजरती हैं। कहीं से दो-तीन खान भेड़ों की ओर झपट पड़े, भेड़ों ने दौड़ना शुरू कर दिया। खान भी उनके पीछे दौड़े। इस भागावट में कुछ भेड़-बकरियां पटरियों पर चली गईं और तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसे में 39 भेड़, 15 बकरियां और एक गधे सहित 55 मवेशियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मवेशियों की लाशों पटरी के दोनों ओर बिखर गईं। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बोकाचनेर के आदेश पर हल्का भू निरीक्षक अनवर अली ने मौके पर पहुंचकर फर्द रिपोर्ट तैयार की है। भाजपा बीछवाल मंडल के महामंत्री गजेशवाल ने विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल से फोन पर वार्ता कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दो बार जिला कलेक्टर से वार्ता की।

ट्रेन की चपेट में आने से 55 मवेशियों की मौत

बोकाचनेर, (नि.सं.)। खारा गांव में ट्रेन से कटकर 55 मवेशियों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे 4-5 जेएमडी स्थित खेत में भेड़-बकरियों के साथ होने पर हुआ। सुबह साढ़े दस बजे ये भेड़-बकरियां लुण्करणसर से बोकाचनेर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसा भीवसिंह के खेत में ही हुआ, जहां से ट्रेन की पटरियां गुजरती हैं। कहीं से दो-तीन खान भेड़ों की ओर झपट पड़े, भेड़ों ने दौड़ना शुरू कर दिया। खान भी उनके पीछे दौड़े। इस भागावट में कुछ भेड़-बकरियां पटरियों पर चली गईं और तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। हादसे में 39 भेड़, 15 बकरियां और एक गधे सहित 55 मवेशियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मवेशियों की लाशों पटरी के दोनों ओर बिखर गईं। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बोकाचनेर के आदेश पर हल्का भू निरीक्षक अनवर अली ने मौके पर पहुंचकर फर्द रिपोर्ट तैयार की है। भाजपा बीछवाल मंडल के महामंत्री गजेशवाल ने विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल से फोन पर वार्ता कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दो बार जिला कलेक्टर से वार्ता की।

हादसे में 39 भेड़, 15 बकरियां और एक गधे सहित 55 मवेशियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मवेशियों की लाशों पटरी के दोनों ओर बिखर गईं। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी बोकाचनेर के आदेश पर हल्का भू निरीक्षक अनवर अली ने मौके पर पहुंचकर फर्द रिपोर्ट तैयार की है। भाजपा बीछवाल मंडल के महामंत्री गजेशवाल ने विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल से फोन पर वार्ता कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दो बार जिला कलेक्टर से वार्ता की।

युवक की मौत : गंगापुर सिटी के समीपवर्ती विनेगा गांव में टेंट हाउस की दुकान में काम करने वाले युवक की कंट से झुलसने से मौत हो गई। युवक दो साल से विनेगा गांव स्थित टेंट हाउस पर काम कर रहा था। टेंट लगाने समय वह हाईटेशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद लवकुश मोणा (22) को साथ के युवक गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मौत घोषित कर दिया।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
 प्रमाण - हस्ताक्षर 12233154 दिनांक - 27/01/2025
ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय (पुल)/40/2024-25
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्विमेंट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु (सिदिदा पर आपूर्ति के तहत) ऑनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तिथि, निविदा शर्तों आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
NIB CODE :- JOD2425A0156
Tender ID/UBN No. :- JOD2425WS0B00340
 एन.सं.एच./टी/24/10910 अधिशाही अभियंता (मुख्यालय)

कार्यालय अधिशाही अभियंता मुरलीपुत्र जोन नगर निगम, गेट जयपुर
 मुख्यालय, नसीराबाद, जयपुर दिनांक - 27/01/2025
ई-निविदा सूचना संख्या 26-35/2024-25
 केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत, टेन्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तिथि, टेन्डर शर्तों आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्विमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम गेट, जयपुर की Web Site www.jajpurmco.org पर देखा व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्विमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड की जा सकती है।
UBN No. :- JMC2425WS0B01182 TO 01193
 अधिशाही अभियंता (मुरलीपुत्र जोन), नगर विकास गेट, जयपुर
 एन.सं.एच./टी/24/10918

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
 पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान)
 दूरभाष-0145-2429653, फैक्स-0145-2433813, Email - ajmer@rajasthan.gov.in, ajmer@rajasthan.gov.in
 Website - www.lsp.uzan.rajasthan.gov.in/majner, www.ajmer.org
 क्रमांक :- MEW/2024-25/4139 दिनांक :- 24.01.2025
निविदा सूचना सं 48/2024-25
 नगर निगम अजमेर द्वारा विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों तथा नगर निगम अजमेर में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से 01 कार्यों (गोष्ठी भवन पार्क के पास पार्किंग स्थल पर तीन पाईपे लगाने का कार्य) हेतु कुल राशि 1.35 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की जाती है जो प्रकल्प दिनांक से 30.01.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक किराया दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 3.30 बजे उपस्थित संबद्धको के समक्ष खोली जावेगी। कार्यों की विस्तृत जानकारी वेब पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
NIB No Code :- ANN2425A0182
UBN No. :- ANN2425S0B003000
 एन.सं.एच./टी/24/10942
 अधिशाही अभियंता, नगर निगम अजमेर

Rajasthan State Council of Educational Research and Training
 111, SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj.) Pin 313001, Telephone: 0294-2415171
 E-mail: director.rcser@rajasthan.gov.in
 No. F-RSCERT-UDR/Acc/2024-25/632 Date :- 28/01/2025
NOTICE INVITING E-BID FOR HIRING AN ASSESSMENT AGENCY IN RSCERT, UDAIPUR
(NIB No. 9/2024-25) NIB Code SCE2425A0009
 Single Stage Two-envelopes unconditional online Bids are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for Hiring an assessment Agency in Rajasthan State Council of Educational Research and Training, Udaipur. The estimated cost of the required services is Rs. 1.22 crore (in words one crore twenty two lakh only). All interested bidders should submit the required documents and DD/Banker's cheque until 17 February 2025, 1:00 PM. All the terms and conditions for participating in the bid can be seen and downloaded from <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://eproc.rajasthan.gov.in>.
UBN: SCE2425SLOB00011 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर
 Raj.Samwad/C/24/10957

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान
 आबकारी भवन-2 गुनियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001
 क्रमांक-F.32(B)/1(AP)EX/L/2024-25-03000 part(6)/1462 दिनांक-28.01.2025
पडत मंदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के अनुहापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना-
 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य संयंत्र नीति वर्ष 2024-25 के अनुसार पडत रीटेल कम्पोजिट मंदिरा दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया से बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-
 1. निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने दिनांक 29.01.2025 दोपहर 3.00 बजे से की दिनांक व समय
 2. निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय दिनांक 31.01.2025 दोपहर 3.00 बजे तक
 3. विधेय निविदा खोलने की दिनांक, समय, दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 4.00 बजे से व स्थान संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय

ई-निविदा में भाग लेने की शर्तें-
 1. यह निविदा वेबसाइट <https://www.sppp.rajasthan.gov.in> तथा विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदा वेबसाइट <https://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत की जानी है। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, एन्योरेशन ट्रेकोर्सीओ एल 2000 के तहत भाग करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में लॉगिन/साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पत्र में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 2. देशी मंदिरा, राजस्थान निर्मित मंदिरा (RML) भारत निर्मित विदेशी मंदिरा (IMFL) एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं अनेक आवेदन शुल्क, अनुमानित गारंटी राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
 3. ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मंदिरा दुकान का कार्ड डाउनलोड करके फॉर्म के साथ प्रिन्टेड शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राबकोथ में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करवाकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशिओं के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशिओं उनके सामने उपरोक्त राजकोथ मद में जमा करवानी होगी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)	राजकोथ लेखा मद
1	RISL की प्रक्रिया/पंजीकरण शुल्क	₹. 2000/-	8658-00-102-161-01 (सिविल विभाग)
2	आवेदन शुल्क	निविदा के संबंध में जारी दिशा-निदेश एवं शर्तों की शर्त संख्या 6.11 के अनुसार ₹. 10,00,000/- से लेकर ₹. 20,00,000/- तक (अनुमानित गारंटी राशि के अनुसार)	0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क)
3	अमानत राशि	अनुमानित गारंटी राशि की 2 प्रतिशत	8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा)

ई-प्रोक पोर्टल से प्रक्रिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का एक चालान जनरेट करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रपत्र शुल्क) में राशि रु. एक सयाना जमा करवाकर आवेदन शुल्क का चालान शुल्क से राजकोथ में मद 0039-00-50-00-00 में भरना जा सकता है।
 4. अनुमानित गारंटी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर सर्टिफिकेट के संबंध में सक्षम स्टार से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होंगे।
 5. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न करने पर सर्टिफिकेट निरस्त कर समस्त जमा राशि जबरान की जायेगी।
 6. मंदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकते, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मद्यसंयंत्र नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय सिविदा अधिनियम के तहत अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्रास्य अनुबाधय व्यवधि <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। जिनका ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जमा, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
 8. ई-निविदा के संबंध में अन्तः प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयंत्र नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगी।
 9. ई-निविदा के संबंध में 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगी।
UBN-EXC2425GLOB00172
 (शिवमसाद नकते)
DIPIR/C/ /2025 आबकारी आयुक्त, राजस्थान